कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक 1570 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, फरवरी, 28 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड किनारे प्लॉट 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है0 भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 3062/FP/UK/Others/ 40044/ 2019 दिनांक 22.06.2022।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र से आपत्तियाँ लगायी गयी थी, जिसके कम में प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अपने पत्रांक 2111/12–1 दिनांक 14.02.2023 से आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	प्रश्नगत लीज 1975 में कृषि सेवा केन्द्र हेतु 30 वर्षो की लीज पर दी गई थी, जो वर्ष 2005 में समाप्त हो चुकी है, जिसका वर्ष 2005–06 में लीज नवीनीकरण किया जाना था, जो कि आतिथि तक नहीं किया गया। क्या यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन की शासनादेश सं0 1963/14–2–78/74 दिनांक 03.07.1975 के माध्यम से वर्ष 1975 में 0.025 है0 वन भूमि श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural Implements Workshop) के स्थापनार्थ 30 वर्ष की लीज पर दि गयी थी। प्रभागीय कार्यालय के अभिलेखानुसार लीजधारक द्वारा वर्ष 2008 से लगातार लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में पत्राचार प्रभागीय कार्यालय से किया जा रहा है, परन्तु वर्तमान में लीज धारक द्वारा लीज भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है। जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों के अनुसार उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 6371 /14–2–578/74वर्ष 1978 के द्वारा कृषि सेवा केन्द्र हेतु लीज पर दी गयी भूमि पर कतिपय शर्तो के तहत कृषि सेवा केन्द्र के साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति दी गयी है, किन्तु प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि लीज पर दी गयी वन भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प ही संचालित हो रहा है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–6371(1)/ 14–2–578/74 वर्ष 1978 के द्वारा कृषि सेवा केन्द्र हेतु लीज पर दी गयी भूमि पर कतिपय शर्तो के तहत कृषि सेवा केन्द्र के साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति दी गयी है, परन्तु कतिपय शर्तो के अनुपालन में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल द्वारा आतिथि तक जिलाधिकारी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं वर्तमान में लीज पर दी गयी वन भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।

क्र. सं	आपत्ति	प्रतिउत्तर
3	क्या लीज धारक द्वारा लीज स्वीकृति आदेश में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन पूर्ण किया गया है	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि लीज धारक को कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु दी गयी थी, परन्तु वर्तमान में लीजधारक द्वारा उक्त लीज भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है, जो लीज स्वीकृति आदेश में अधिरोपित शर्त सं0 3 का उल्लंघन है। इसी सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 6371(1)/14–2–578/74 में भी लीजधारक को कतिपय शर्तों के आधीन अनापत्ति प्रदान की गयी थी, उक्त शर्तो के अनुपालन में लीजधारक को जिलाधिकारी एवं सर्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने थे, जो लीलधारक द्वारा प्रभागीय कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है।
4	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–2 की बिन्दु संख्या–9 में अधिनियम, का उल्लंघन न होने की सूचना अंकित की गयी है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें कि लीज अवधि समाप्त हुये 15 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। लीज धारक द्वारा अभी तक पूर्व में कथित प्रयोजन हेतु लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण नहीं किया गया है तथा वन भूमि पर काबिज है। क्या यह वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। स्थति स्पष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रपत्र भाग–2 के बिन्दु सं0 09 में त्रुटिवश नहीं अंकित हो गया है, जिसे संशोधित कर दिया गया है। प्रस्ताव में संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होनें का उल्लेख पूर्व में भी किया गया है। अतः संशोधित प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या–5.5 के उप बिन्दु (a) व (b) पर सूचना अंकित नहीं की गयी है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु सं0 5.5 के उप बिन्दु (a) व (b) में से मान्य बिन्दु को मोटे अक्षरों में हाइलाइट किया गया है।
6	प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत लीज आरक्षित वन भूमि में दी गयी है किन्तु प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 11.1 के लैण्ड शैड्यूल जो कि राजस्व विभाग व अन्य से सम्बन्धित है में भूमि प्रभावित होनी दर्शायी गयी है। स्थिति स्पष्ट करें।	लीजधारक द्वारा संशोधित प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–19 के अनुसार प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से 0.5 किमी0की दूरी पर स्थिति है। इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालन की संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालन की संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
8	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में (विशेषकर जिलाधिकारी से सम्बन्धित) तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	लीजधारक द्वारा संशोधित प्रपत्र–पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

क्र. सं	आपत्ति	प्रतिउत्तर
9	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–25 में उल्लेख किया गया है कि कृषि सेवा केन्द्र का ले–आउट प्लान/मदवार विवरण संलग्न है का उल्लेख किया गया हे जो कि नहीं किया गया है। लीज पर दी गयी वन भूमि पर किये गये निर्माण से सम्बन्धित कार्य का ले–आउट प्लान/मानचित्र मदवार विवरण सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।	लीज धारक द्वारा ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
10	एन0पी0वी0 का निर्धारण नई दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	नई दरो के अनुसार NPV का निर्धारण निर्धारित प्रारूप में प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
11	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–46 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन की शासनादेश सं0 1963/14–2–78/74 दिनांक 03.07.1975 के माध्यम से वर्ष 1975 में 0.025 है0 वन भूमि श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural Implements Workshop) के स्थापनार्थ 30 वर्षो की लीज पर दी गयी थी, परन्तु वर्तमान में लीजधारक द्वारा लीज भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है। कृषि सेवा केन्द्र संचालित नहीं किया जा रहा है। उक्त के क्रम में लीजधारक द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 शासनादेश सं0 6371/(1)/14–2–578/74 वर्ष 1978 के द्वारा लीजधारक को कृषि सेवा केन्द्र के साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति दी गयी है, परन्तु कतिपय शर्तो के अनुपालन में लीजधारक द्वारा आतिथि तक जिलाधिकारी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत नही किये गये है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त के क्रम में यह कहना समीचीन होगा कि लीजधारक द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन दी गयी अनापत्ति की शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नक सहित सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1570 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को उनकी पत्र संख्या 2111/12–1 दिनांक 14.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं0 05947–251362

G20 भारत 2023 INDIA

पत्रांकः-- 2111 / 12-1 दिनांक, रामनगर 14/2/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः— जनपद--नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड किनारे प्लॉट 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है0 भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक– 3062 / FF/UK/ Others/ 40044/ 2019 दिनांक 22 जून,2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयगत प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियां का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है--

क्र.सं	EDS	आपत्ति का निराकरण / आख्या
1	प्रश्नगत लीज 1975 में कृषि सेवा केन्द्र हेतु 30 वर्षो की लीज पर दी गई थी, जो वर्ष 2005 मे समाप्त हो चुकी है, जिसका वर्ष 2005–06 में लीज नवीनीकरण किया जाना था, जो कि आतिथि तक नहीं किया गया। क्या यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं है। स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन की शासनादेश सं0 1963 / 14--2--78 / 74 दिनांक 03.07.1975 के माध्यम से वर्ष 1975 में 0.025 है0 वन भूमि श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural Implements Workshop) के स्थापनार्थ 30 वर्ष की लीज पर दि गयी थी। इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार लीजधारक द्वारा वर्ष 2008 से लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। परन्तु वर्तमान में लीजधारक द्वारा लीज भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है। जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों के अनुसार उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 6371(1) / 14--2--578 / 74 वर्ष 1978 के द्वारा कृषि सेवा केन्द्र हेतु लीज पर दी गयी भूमि पर कतिपय शर्तों के तहत कृषि सेवा केन्द्र के साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति दी गयी है, किन्तु प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि लीज पर दी गयी वन भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प ही संचालित हो रहा है। स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–6371(1) / 14--2–578 / 74 वर्ष 1978 के द्वारा कृषि सेवा केन्द हेतु लीज पर दी गयी भूमि पर कतिपय शर्तों के तहत कृषि सेवा केन्द्र के साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति दी गयी है, परन्तु कतिपय शर्तो के अनुपालन मे श्री हरीश चन्द घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल द्वारा आतिथि तक जिलाधिकारी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं वर्तमान में लीज पर दी गयी वन भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है। जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।
3	क्या लीज धारक द्वारा लीज स्वीकृति आदेश में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन पूर्ण किया गया है	उक्त भूमि लीज धारक को कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु दी गयी थी, परन्तु वर्तमान में लीजधारक द्वारा उक्त लीज भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का सचालन किया जा रहा है, जो लीज स्वीकृति आदेश में अधिरोपित शर्त सं0 3 का उल्लंघन है। इसी सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 6371(1) / 14--2--578 / 74 में भी लीजधारक को कतिपय शर्तों के आधीन अनापत्ति प्रदान की गयी थी, उक्त शर्तो के अनुपालन में लीजधारक को जिलाधिकारी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनापित्त प्रमाण प्राप्त करने थे, जो लीजधारक द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गये हैं।
4	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग--2 की बिन्दु संख्या--9 में अधिनियम, का उल्लंघन न होने की सूचना अंकित की गयी है। इस सबध में स्थिति स्पष्ट करें कि लीज अवधि समाप्त हुये 15 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। लीज धारक द्वारा अभी तक पूर्व में कथित प्रयोजन हेतु लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण नहीं किया गया है तथा वन भूमि पर काबिज है। क्या यह वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। स्थति स्पष्ट करे।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रपत्र भाग--2 के बिन्दु सं0--9 में त्रुटिवश नहीं अंकित हो गया है। प्रस्ताव में संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन होने का उल्लेख पूर्व में भी किया गया है। अतः संशोधित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न--1)

5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या–5.5 के उप बिन्दु (a) व (b) पर सूचना अंकित नहीं की गयी है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 5.5 के उप बिन्दु (a) व (b) में से मान्य बिन्दु को मोटे अक्षरों में हाइलाइट किया गया है।
6	प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत लीज आरक्षित वन भूमि में दी गयी है किन्तु प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 11.1 के लैण्ड शैड्यूल जो कि राजस्व विभाग व अन्य से सम्बन्धित है में भूमि प्रभावित होनी दर्शायी गयी है। स्थिति स्पष्ट करें।	लीजधारक द्वारा संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।**(संलग्न–3)**
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–19 के अनुसार प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से 0.5 किमी0की दूरी पर स्थिति है। इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालन की संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालन की संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।**(संलग्न–4)**
8	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में (विशेषकर जिलाधिकारी से सम्बन्धित) तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	लीजधारक द्वारा संशोधित प्रपत्र–पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।**(संलग्न–5)**
9	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–25 में उल्लेख किया गया है कि कृषि सेवा केन्द्र का ले–आउट प्लान/मदवार विवरण संलग्न है का उल्लेख किया गया हे जो कि नहीं किया गया है। लीज पर दी गयी वन भूमि पर किये गये निर्माण से सम्बन्धित कार्य का ले–आउट प्लान/मानचित्र मदवार विवरण सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।	लीज धारक द्वारा ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्न–6)**
10	एन0पी0वी0 का निर्धारण नई दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करे।	नई दरों के अनुसार एन0पी0वी0 का निर्धारण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।**(संलग्न–7)**
11	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–46 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। स्थिति स्पष्ट करें।	उत्तर प्रदेश शासन की शासनादेश सं0 1963/14–2–78/74 दिनांक 03.07.1975 के माध्यम से वर्ष 1975 में 0.025 है0 वन भूमि श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural Implements Workshop) के स्थापनार्थ 30 वर्ष की लीज पर दि गयी थी। परन्तु वर्तमान में लीजधारक द्वारा लीज भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है कृषि सेवा केन्द्र संचालित नहीं किया जा रहा है। उक्त के क्रम में लीजधारक द्वारा अवगत कराया गया की उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–6371(1)/ 14–2–578/74 वर्ष 1978 के द्वारा लीजधारक को कृषि सेवा केन्द्र हेतु लीज पर दी गयी भूमि पर कतिपय शर्तों के तहत कृषि सेवा केन्द्र के साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति दी गयी है, परन्तु कतिपय शर्तों के अनुपालन में लीजधारक द्वारा आतिथि तक जिलाधिकारी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है। उक्त के क्रम में यह कहना समीचीन होगा कि लीधारक द्वारा कतिपय शर्तो के आधीन दी गयी अनापत्ति की शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया हैं, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।

अतः आपत्तियां का निराकरण 04 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विषयांकित प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नः– 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांकः– / **तद्दिनांकितः–**
प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सेन्टर, रानीखेत रोड, रामनगर नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर